जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत संविदा आधारित स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित

–: आम सूचना :–

दिनांक–02.07.19 को उपायुक्त, जामताड़ा की अध्यक्षता में संपन्न जिला चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत संविदा आधारित स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची तैयार करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–647, दिनांक– 09.07.18 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2018–19 के आलोक में तकनीकी सहायक (सहायक अभिंयता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभिंयता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–8468, दिनांक–20.11.18 द्वारा झारखण्ड राज्य अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त अद्यतन मार्गदर्शन के आलोक में रद्द किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–1055, दिनांक–12.11.18 द्वारा तैयार प्रतिक्षा सूची को भी रद्द किया जाता है।

उपायुक्त, जामताड़ा के आदेशानुसार।

–ह०–

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 678, दिनांक 26/07/19

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त आम सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को जिला के वेवसाईट www.jamtara.nic.in पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, जामताड़ा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25.7.19

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जामताड़ा।

Scanned by CamScanner